भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2770
दिनांक 22.12.2021/ 1 पौष, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

जम्मू-कश्मीर में अशांति का बढ़ना

2770 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू – कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में अशांति और धर्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में अचानक वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ख) ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी को रोकने में संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के विफल रहने के क्या कारण हैं;

(ग) इन घटनाओं के संबंध में कितनी गिरफ्तारियाँ की गई हैं;

(घ) कितने लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किए गए हैं; और

(ङ) क्या संघ राज्यक्षेत्र में एक नई आतंकवाद-रोधी अभिकरण का सृजन किया जाना स्थिति से निपटने में मौजूदा अभिकरणों की विफलता का संकेत देता है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में समग्र रूप से कमी आई है, जो वर्ष 2018 में 417 से घटकर वर्ष 2021 में (30 नवम्बर, 2021 तक) 203 हो गई है तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति में भी सुधार हुआ है। तथापि, सीमा-पार से प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को निशाना बनाकर कुछ हमले किए गए हैं। किसी भी आतंकवादी हमले को रोकने के लिए एक सशक्त सुरक्षा और आसूचना ग्रिड मौजूद है। इसके अतिरिक्त, दिन-रात क्षेत्र में नियंत्रण और गश्त तथा आतंकवादियों के विरुद्ध सक्रिय ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा, किसी भी आतंकवादी हमले को विफल करने के लिए नाकों पर

रा.स.अता.प्र.सं. 2770

चौबीसों घंटे चेकिंग तथा रणनीतिक स्थानों पर रोड ओपनिंग पार्टियों की संख्या को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा रहा है।

(ग): धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले के संबंध में 07 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इन घटनाओं में शामिल 04 आतंकवादी मारे गए हैं।

(घ): 01 भगोड़े व्यक्ति सहित 07 दोषियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किए गए हैं।

(ङ): जी, नहीं। आतंकवाद से जुड़े मामलों की शीघ्र और प्रभावकारी जांच तथा अभियोजन के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा "राज्य जांच एजेंसी (एसआईए)" का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, एसआईए इस संबंध में "राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)" और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करने वाली नोडल एजेंसी होगी।

******